



UPLK010010492023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 152 / 2023

सरकार

बनाम

शिवगिरी

अ0सं0 337 / 2022

धारा-302 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(2)V एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-इंदिरानगर, लखनऊ ।

28-06-2023

मुकदमा पुकारा गया । अभियुक्त शिवगिरी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है ।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है ।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)V एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं । तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये । अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की ।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 11.07.2023 को पेश हो ।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ ।



UPLK010010492023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 152 / 2023

सरकार

बनाम

शिवगिरी

अ0सं0 337 / 2022

धारा-302 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(2)V एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-इंदिरानगर, लखनऊ ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार-III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त शिवगिरी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 09.11.2022 से दिनांक 11.11.2022 के मध्य समय अदम तहरीर, थाना इंदिरानगर, जिला लखनऊ सीमान्तगत मुंशी पुलिया चौराहे के पास दरबारी बिल्डर के अर्धनिर्मित माल के बेसमेंट में आप अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा जगपाल गौतम के पुत्र रविचन्द्रा का दिवाल में सर लड़ा करके हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा जगपाल गौतम के पुत्र रविचन्द्रा (जो अनुसूचित जाति की सदस्य है) की हत्या कारित किया, जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा-3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 28-06-2023

(नरेन्द्र कुमार-III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ ।
J.O. Code UP5950

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 28-06-2023

(नरेन्द्र कुमार-III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ ।
J.O. Code UP5950